अमानगढ़ में पर्यटन सत्र का समापन, 3537 पर्यटक पहुंचे

संवाद न्यूज एजेंसी

रेहड़। अमानगढ़ में चल रहे चौथे पर्यटन सत्र का 30 जून को समापन हो गया। पर्यटन सत्र में कुल 3537 पर्यटकों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया।

रेंजर अंकिता किशोर ने बताया कि दो नवंबर से शुरू हुए चौथे पर्यटन सत्र में 789 जिप्सियों से कुल 3537 पर्यटकों ने जंगल सफारी की। इसमें 3528 भारतीय तथा विदेशी पर्यटक रहे, जबकि पिछले सत्र में 3582 पर्यटकों ने 793 जिप्सियों से वन विहार का आनंद लिया था। इनमें दो विदेशी सैलानी भी थे।

पिछले सत्र में पर्यटकों ने 793 जिप्सियों से वन विहार का आनंद लिया

वन्य जीवों को नजदीक से देखने का आकर्षण पूरे सत्र भर सैलानियों को अमानगढ़ आने पर विवश करता है। जंगल सफारी में पर्यटकों को कम संख्या दस एवं 15 में बाघ, हाथी, भालू, कोबरा, हिरन आदि सबसे अधिक वन्य जीव दिखाई दिए। इससे पर्यटन का रोमांच दोगुना हो गया।

रेंजर ने बताया कि पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए वन विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें जंगल सफारी मार्ग पर संकेतक बोर्ड लगाना तथा कार्यालय परिसर में पर्यटकों के लिए बेंच आदि प्रस्तावित हैं।

भावी योजनाओं से पर्यटन को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कैफेटेरिया का भी विस्तार करने पर विचार किया जाएगा। अगला सत्र नवंबर माह से शुरू किया जाएगा। इसके लिए तिथि का निर्धारण विभागीय आदेश के बाद किया जाएगा।

रेहड़ के अमानगढ़ में वन विहार के लिए जाते पर्यटक। स्रोत : विभाग

कालागढ़ में सड़क पर पहुंचा बाघ, बाल बाल बचे राहगीर

कालागढ़। सोमवार की शाम लगभग आठ बजे पुराना कालागढ़ से नई कॉलोनी मार्ग पर इंटर कॉलेज के निकट सूखास्रोत के पुल के पास मार्ग पर एक विशालकाय बाघ आ पहुंचा। बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल पार कर सूखास्रोत के उत्तरी छोर से सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि स्कूटी सवार दंपती वहीं से कुछ कदम आगे निकली थी। इसी दौरान पुल पर खड़े लोगों ने शोरगुल किया। तभी बाघ सड़क को पार कर इंटर कॉलेज के पीछे सूखास्रोत के दक्षिणी इलाके में चला गया।

इसके अलावा कालागढ़ में हाथी भी सक्रिय हैं। एक हाथी तो आम खाने के लिए जल विद्युत उत्पादन निगम के खंड के कार्यालय परिसर में जा घुसा था। इसके चलते आबादी की सुरक्षा को दिनों-दिन खतरा बढ़ता जा रहा है।

कालागढ़ के वनक्षेत्राधिकारी एनके रूवाली के अनुसार कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना में वन्यजीवों का विचरण होता है। यह वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में सतर्कता बरतनी आवश्यक है। घटना को देखते हुए गश्ती दलों को सतर्क कर दिया गया है। सूखास्रोत क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।

गुलदार की मौजूदगी से सहमे लोग, सीमांकन विवाद में उलझे विभाग

नांगल सोती। गांव महमसापुर के जंगल में गुलदार का शावक मिलने से किसानों में दहशत माहौल है। वन व सामाजिक वानिकी विभाग सीमांकन विवाद में उलझे हैं। दोनों विभागों के अधिकारी पिंजरा लगाने से पल्ला झाड़ रहे हैं।

किसान सोनू को सोमवार को खेत में चारा काटते समय गुलदार का शावक मिला था। सूचना पर डिप्टी रेंजर महिपाल सिंह की टीम पहुंची। किसानों ने पिंजरा लगाने की मांग की, लेकिन टीम ने क्षेत्र सामाजिक वानिकी का बताकर इनकार कर दिया। वानिकी दरोगा विकास कुमार ने क्षेत्र राजगढ़ रेंज का बताया। विवाद डीएफओ तक पहुंचा, लेकिन पिंजरा नहीं लगा। ग्राम प्रधान विवेक सिंह, विनित, सोनू, अजय, टीकम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन गुलदार का जोड़ा देखा जा रहा है। शावक मिलने से दहशत और बढ़ गई है। उधर, राजगढ़ रेंजर देव ऋषि ने कहा कि गश्त बढ़ा दी गई है। रात में शावक नहीं मिला, संभव है मादा ले गई हो। गुलदार पुनः देखे जाने पर पिंजरा लगेगा। संवाद

रालोद संसदीय दल में पूर्व सांसद मुंशीराम को भी मिली जगह

नगीना। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद मुंशीराम पाल को पार्टी हाईकमान ने बड़ा सम्मान देते हुए पार्टी के संसदीय दल में जगह दी है। उन्होंने पार्टी हाई कमान के इस निर्णय पर आभार जताया है।

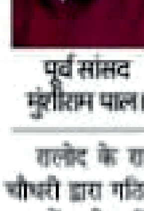

पूर्व सांसद मुंशीराम पाल।

रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा गठित पार्टी के संसदीय दल में नगीना निवासी पार्टी के पूर्व सांसद मुंशीराम को सदस्य बनाया गया है। संसदीय दल में पूर्व सांसद केसी त्यागी को अध्यक्ष बनाते हुए 15 सदस्य बनाए गए हैं, जबकि चार विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद भी संसदीय दल में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।

पूर्व सांसद मुंशीराम को पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने नहटौर विधानसभा से चुनाव लड़ाया था। मुंशीराम ने बताया कि संसदीय दल के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों पर चुनाव के समय पार्टी के प्रत्याशी के नाम चयन करने आदि की जिम्मेदारी रहती है। संवाद

ख़बरें मोबाइल पर amarujala.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 31.05.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखाः बुन्दकी, बिजनौर** **ऋणीः** श्री बाबू राम पुत्र श्री गोपाल सिंह, **सह-ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बाबू राम, **गारन्टरः** यश भान शर्मा पुत्र श्री गेंदा शर्मा।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- आरफपुर खजूरी, ओम विहार कॉलोनी, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बाबू राम), कुल माप क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7228, पेज नं0 385 से 400, क्र0सं0 8919, दिनांक 11.06.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः फरद आदि का प्लॉट, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः यशपाल शर्मा का प्लॉट।	(ए) 06.07.2023 (बी) रू0 9,87,488.75 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2023 (सी) रू0 12,50,237.35 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 25.09.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 7,42,000/- रू0 74,200/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः जलालाबाद, बिजनौर** **ऋणीः** श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुलाराम (**ऋणी**)।	बंधक आवासीय मकान, जो ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला बिजनौर, (उ.प्र.) में स्थित है, क्षेत्रफल 172.50 वर्ग मीटर का 1/2 भाग अर्थात 86.25 वर्ग मीटर। (श्री नितिन कुमार पुत्र श्री तुला राम के नाम), बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10740, पृष्ठ संख्या 243 से 256, क्रम संख्या 14308, दिनांक 02.12.2021 में उप-पंजीयक कार्यालय जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज। सीमाएँः- पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनूप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 07.08.2023 (बी) रू0 13,47,627.19 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 (सी) रू0 10,84,325.34 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 04.11.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 9,09,000/- रू0 90,900/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः नजीबाबाद चौक, बिजनौर** श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल (**ऋणी/बंधककर्ता**) श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बिशम्बर सिंह (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला चारबाग, परगना और तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर कुल माप 146.37 वर्गमीटर, (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल), पंजीकृत बही नं. 01, जिल्द नं. 8137, पेज85-116, सीरियल नं. 2902, दिनांक 31.03.2017 सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, बिजनौरपर पंजीकृत है। (उ.प्र.) विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पुर्व- आराजी अजगर अहमद, पश्चिम- 6 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- 8 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- रोशनजहां का मकान।	(ए) 08.10.2025 (बी) रू0 15,43,314/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.09.2025 (सी) रू0 16,18,046/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.05.2026 (डी) 15.12.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 34,40,000/- रू0 3,44,000/- रू0 40,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वार रोड** श्री राज बहादुर सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह (**ऋणी/बंधककर्ता**), श्रीमती राजो देवी पत्नी श्री राज बहादुर (**गारन्टर**), श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता (**गारन्टर**)।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री राज बहादुर सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह, स्थित ग्राम- दरियापुर, परगना नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0)। माप क्षेत्रफल 92.84 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7493, पेज नं0 245-260, क्र0सं0 17234, दिनांक 18.12.2015 पर पंजीकृत है। सीमाएँः- उत्तरः रामेश्वर की भूमि, दक्षिणः 13 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्वः 09 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिमः विक्रेता की भूमि।	(ए) 13.11.2019 (बी) रू0 14,70,376.50 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2019 (सी) रू0 25,50,018.50 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 24.02.2020 (ई) भौतिक कब्जा	रू0 15,48,352/- रू0 1,54,835/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** **ऋणीः-** श्री शुभम भटनागर पुत्र श्री सतीराम भटनागर, श्रीमती रीता भटनागर पत्नी श्री सीताराम भटनागर (**सह-ऋणी/बंधककर्ता**), श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 162/2 का भाग, स्थित प्लॉट नं0 46, ग्राम- जलाबपुर गुडार (आर0सी0 पुरम नजीबाबाद), परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 41.82 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रीता भटनागर पत्नी श्री सीताराम भटनागर), बही नं0 1, जिल्द नं0 5418, पेज नं0 241-254, क्र0सं0 1117, दिनांक 27.01.2012, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः उत्तरः जसविन्दर सिंह की आराजी पट्ट, दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्वः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अशोक पाल की आराजी पट्ट।	(ए) 24.04.2025 (बी) रू0 10,01,639.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.03.2025 (सी) रू0 10,98,988/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 16.07.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 12,57,000/- रू0 1,25,700/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
6	**शाखाः कासिमपुर गढ़ी, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** मैसर्स भाग्यश्री मैन्युफैक्चरिंग, **प्रोपराइटर/ऋणीः** श्री भोले सिंह पुत्र श्री नीपेन्द्र, **गारन्टर/बंधककर्ताः** श्रीमती विनिता पत्नी श्री भोले सिंह।	बंधक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 122 का भाग, मौहम्मदपुर राजौरी परगना अफजलगढ़, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती विनिता पत्नी श्री भोले सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर, बही नं0 01, जिल्द नं0 11231, पेज नं0 93 से 126, क्र0सं0 11121, दिनांक 17.05.2018, संशोधन के बाद बही नं0 1, जिल्द नं0 11379, पेज नं0 219 से 228, क्र0सं0 16551, दिनांक 28.07.2018, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- धामपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- उत्तरः दान कर्ता भोले की शेष अराजी, दक्षिणः नवनीत कुमार का खेत, पूर्वः बधू खेत बदलू की चकरोड, पश्चिमः मेहराज सिंह का खेत।	(ए) 29.06.2022 (बी) रू0 20,56,888.75 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2022 (सी) रू0 29,77,931.75 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.05.2026 (डी) 20.09.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 15,30,000/- रू0 1,53,000/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
7	**शाखाः आरबीडी, बिजनौर** श्री रूपन पाल पुत्र श्री माणिक चंद पाल (**उधारकर्ता एवं बंधककर्ता**)। श्री राम प्रसाद शाह पुत्र श्री रंग लाल शाह (**गारंटर**)।	बंधक आवासीय मकान स्थित ग्राम अमीरपुरदास उर्फ धर्म नगरी, परगना एवं तहसील/जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश), जिसका कुल क्षेत्रफल 248.76 वर्ग मीटर है (श्री रूपन पाल पुत्र श्री माणिक चंद पाल के नाम पर)। उक्त संपत्ति बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10811, पृष्ठ संख्या 279 से 326, क्रम संख्या 9511, दिनांक 28.09.2020 को उप-पंजीयक कार्यालय, जनपद बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैंः- पूर्वः- रतन मंडल का मकान, पश्चिमः- सिमरन पाल का मकान, उत्तरः- 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः- विक्रेता की आराजी।	(ए) 17.01.2026 (बी) रू0 8,60,077.07 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 09.01.2026 (सी) रू0 8,87,093.27 + प्रभावी ब्याज दिनांक 17.01.2026 (डी) 23.03.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 29,53,000/- रू0 2,95,300/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
8	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री नरेश तोमर पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह तोमर। श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री नरेश तोमर।	बंधक आवासीय संपत्ति आदर्श नगर–बी, ब्लॉक, मौजा ततारपुर लालू, नजीबाबाद, बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर है, (जो श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री नरेश तोमर के नाम दर्ज है) बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10480, पृष्ठ संख्या 307 से 318, क्रम संख्या 4926, दिनांक 08.04.2021, उप–पंजीयक कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। सीमाएँः– पूर्वः अंजू का मकान, पश्चिमः आराजी राजवाला, उत्तरः 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः आराजी संगीता देवी।	(ए) 15.07.2025 (बी) रू0 9,48,445.40 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 30.06.2025 (सी) रू0 9,70,553.89 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.01.2026 (डी) 13.10.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 10,12,000/- रू0 1,01,200/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
9	**शाखाः हल्दौर, बिजनौर** श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल करीम (**उधारकर्ता/बंधककर्ता**)। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय संपत्ति जो ग्राम शाहनगर, परगना दरानगर, तहसील एवं जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित है, जो श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल करीम के नाम दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 106.78 वर्ग मीटर है। बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10736, पृष्ठ संख्या 53 से 78, क्रम संख्या 7621, दिनांक 21.08.2020, उप-पंजीयक कार्यालय बिजनौर, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। सीमाएँः- पूर्वः मोहम्मद शाहिद का मकान, पश्चिमः 9 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 9 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः दयाराम सिंह का मकान।	(ए) 12.09.2024 (बी) रू0 5,22,128.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.08.2024 (सी) रू0 5,42,745.97 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2024 (डी) 27.11.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 10,13,200/- रू0 1,01,300/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
10	**शाखाः कासिमपुर गढ़ी** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमार, **गारन्टरः** श्री शादाब खान पुत्र मासी खान।	बंधक आवासीय मकान स्थित ग्राम- सीरवासुचंद परगना अफजलगढ़, तहसील धामपुर, जिला- बिजनौर, कुल माप क्षेत्रफल 55.28 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमान) बही नं0 01, जिल्द नं0 10741, पेज नं0 97 से 124, क्र0सं0 13274, दिनांक 04.09.2017, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस धामपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः विक्रेता का मकान, पश्चिमः 42 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः ठाकुर रमवीर सिंह का मकान, दक्षिणः शिव मंदिर की आराजी।	(ए) 12.08.2024 (बी) रू0 18,98,625.08 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.07.2024 (सी) रू0 22,06,359.08 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 23.10.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 21,90,000/- रू0 2,19,000/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
11	**शाखा अफजलगढ़, बिजनौर** मैसर्स अग्रवाल मसाले, प्रोपराइटर द्वारा (ऋणी फर्म), श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल (प्रोपराइटर), श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण (गारन्टर/बंधककर्ता)।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला किला कस्बा एवं परगना- अफजलगढ़, तहसील- नगीना, जिला-बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री काली चरण), कुल माप क्षेत्रफल 14.00 वर्ग मीटर, बही नं0 01, जिल्द नं0 1175/1273, पेज नं0 402/313-316, क्र0सं0 3903, दिनांक 27.07.1999, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नगीना, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- उत्तरः गोपी चन्द का मकान, दक्षिणः सुभाष कुमार एवं पुरण सिंह ध्यानी की दुकान, पूर्वः नागेन्द्र कुमार वर्मा की दुकान, पश्चिमः गली।	(ए) 24.04.2023 (बी) रू0 18,17,228.93 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2023 (सी) रू0 18,83,348.93 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 28.07.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 12,63,000/- रू0 1,26,300/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
12	**शाखाः कोतवाली** श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह (**ऋणी/बंधककर्ता**), श्री अरूण कुमार पुत्र श्री शव राम सिंह (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित ए/11, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 199.50 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 10041, पेज नं0 1 से 34, क्र0सं0 5697, दिनांक 30.07.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः गुलाब सिंह का मकान, पश्चिमः रमेश चन्द्र का मकान, उत्तरः कृपाल एवं लखन का मकान, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 14.08.2024 (बी) रू0 10,27,749/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.07.2024 (सी) रू0 12,06,046/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2024 (डी) 26.11.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 29,94,000/- रू0 2,99,400/- रू0 30,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
13	**शाखाः जलालाबाद** श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह (**उधारकर्ता/बंधककर्ता**) श्री सुमित करकेट्टा पुत्र श्री इसिडोर करकेट्टा (**गारन्टर**)।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहजहांपुर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.), कुल क्षेत्रफल 61.30 वर्ग मीटर, (श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11477, पृष्ठ संख्या 365-378, क्रमांक 6629, दिनांक 25.05.2023 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः पवन कुमार का मकान, पश्चिमः रोशन सिंह का मकान, उत्तरः राजेंद्र का मकान, दक्षिण+ 8 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 06.09.2025 (बी) रू0 9,40,274.99 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 23.08.2025 (सी) रू0 9,87,661.99 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.01.2025 (डी) 17.11.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 8,08,350/- रू0 80,835/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
14	**शाखाः जलालाबाद** श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह (**ऋणी एवं बंधककर्ता**), ग्राम- अहमदपुर सादात, जोगीरामपुरी, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला- बिजनौर, (उ0प्र0)- 246763	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा संख्या 382, स्थित ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। कुल क्षेत्रफल 86.25 वर्ग मीटर (श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11737, पृष्ठ संख्या 85-96, क्रमांक 15829, दिनांक 06.12.2023 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनुप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 29.09.2025 (बी) रू0 10,25,754.14 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 10.09.2025 (सी) रू0 10,76,393.14 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.02.2026 (डी) 27.11.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 9,99,600/- रू0 99,960/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
15	**शाखाः बुंदकी, बिजनौर** श्रीमती रूबी पत्नी श्री अकील बेग (**ऋणी/बंधककर्ता**), श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री शर्फुद्दीन (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- कलालन, कस्बा नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रूबी पत्नी श्री अकील बेग, कुल माप क्षेत्रफल 33.88 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 9993, पेज नं0 307 से 338, क्र0सं0 4482, दिनांक 24.06.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः शफीक अहमद का मकान, पश्चिमः 4 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अकील बेग का मकान, दक्षिणः शद्दीक का मकान।	(ए) 23.05.2025 (बी) रू0 9,52,186.64 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 28.04.2025 (सी) रू0 10,06,882.64 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2026 (डी) 20.08.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 10,95,200/- रू0 1,09,500/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
16	**शाखाः नजीबाबाद चौक** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी श्री रईस अहमद, सह-ऋणीः श्री रईस अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद, **गारन्टर :** **1.** श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री मांगू सिंह, **2.** श्री ऐजाज गौहर खान, जोहर पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार खान गौहर।	बंधक आवासीय मकान, स्थित मौहल्ला- वाहिद नगर, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी रईस अहमद, कुल माप क्षेत्रफल 88.30 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 4591, दस्तावेज नं0 5914, पेज नं0 255-272, दिनांक 28.05.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः ग्राम समाज का तालाब, पश्चिमः अनिर्मित 12.6 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अजमल खान की अराजी, दक्षिणः विक्रेता साजिदा खातून की अराजी का शेष भाग।	(ए) 12.06.2024 (बी) रू0 16,16,489.48 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2024 (सी) रू0 19,77,876.48+ प्रभावी ब्याज दिनांक 01.07.2025 (डी) 29.08.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 24,19,950/- रू0 2,41,995/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
17	**शाखा कोतवाली, बिजनौर** **ऋणी बंधककर्ताः** श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, **गारन्टरः** श्री तेजस्वी कुमार पुत्र श्री पतराम सिंह।	बंधक आवासीय मकान स्थित तारापुर लालू, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 91.96 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 1413, पेज नं0 330 एवं अतिरिक्त बही नं0 01, जिल्द नं0 1514, पेज नं0 243 से 246, क्र0सं0 96, दिनांक 07.01.2022, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- उत्तरः रास्ता, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः सुंदर लाल की आराजी, पश्चिमः 9 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 01.10.2022 (बी) रू0 9,17,750.10 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2022 (सी) रू0 8,75,643.10 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.10.2024 (डी) 21.12.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 15,05,000/- रू0 1,50,500/- रू0 20,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
18	**शाखा फीना, बिजनौर** श्री हरिराज सिंह पुत्र श्री झुन्ना सिंह (**प्रोपराइटर/बंधककर्ता**)। श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री धन सिंह (**गारन्टर**)।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- विवेक नगर (डिग्री कॉलेज के पीछे), चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्री हरिराज सिंह पुत्र श्री झुन्ना सिंह) कुल माप 100.00 वर्ग मीटर, बही नं001, जिल्द नं0 2651, पेज नं0 313 से 372, क्र0सं0 9893, दिनाक 20.10.2004, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः-उत्तरः मांगू सिंह की आबादी, दक्षिणः रास्ता एवं मुकीर की शेष आबादी, पूर्वः योगेश कुमार एवं कृष्णा कुमार मिश्रा की आबादी, पचिमः मुकीर की शेष आबादी।	(ए) 08.11.2023 (बी) रू0 10,32,537.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2023 (सी) रू0 13,03,551/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.06.2026 (डी) 02.02.2024 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 8,60,000/- रू0 86,000/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
19	**शाखा कोतवाली** श्री विमल कुमार पुत्र श्री सुखलाल सिंह (**ऋणी/बंधककर्ता**), श्री ऋषि राम कुमार मून्ने (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय संपत्ति जो ग्राम धनौरा, हरिओम नगर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 33.45 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति श्री विमल कुमार, पुत्र श्री सुख लाल सिंह के नाम पर है। यह बही संख्या 01, जिल्द संख्या 11038, पृष्ठ संख्या 287 से 298, क्रमांक 9618, दिनांक 18/07/2022 में उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में पंजीकृत है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः विक्रेता की आराजी, पश्चिमः विक्रेता की आराजी, उत्तरः विक्रेता की आराजी, दक्षिणः 5 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 09.06.2025 (बी) रू0 9,07,202.96 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2025 (सी) रू0 9,75,956.96 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.11.2025 (डी) 19.08.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 3,26,400/- रू0 32,640/- रू0 10,000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 98731 00792** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शशीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **98731 00792.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 30.06.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार